

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छातापुर रोड, कोरेट कॉम्पाउ, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा)

☎ 07774-240238 (O), 240236 (R), 240238 (F) E-Mail :- dfosouthsurguja_200@rediffmail.com

क्रमांक / तक.अधि. / 4535 अम्बिकापुर, दिनांक : 27 / 8 / 2018
प्रति,

✓ क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. गिनरल डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नमनाकला, अम्बिकापुर (छ.ग.)

विषय :- Diversion of 99.350 ha. of Revenue Forest Land for Bauxite non-coal Mining in favour of M/s Chhattisgarh Mineral Development Corporation Ltd.(CMDCL) Raipur in Pothari village in Surguja Forest Division of Surguja District in the state of chhattisgarh.
पंजीयन क्रमांक EP/CG/MIN/14531/2015

संदर्भ :- 1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक / F.No. 113/2017-FC दिनांक 19.07.2018
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (भू-प्रबंध) नया रायपुर का पत्र क्र. /भू-प्रबंध/खनिज/331-224/2546 रायपुर, दिनांक 13.03.2018

---/---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19.07.2018 को प्रस्ताव की अंतिम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके अन्तर्गत अधिसूचित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नया रायपुर के द्वारा वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में निर्धारित वार्षिक वृक्षारोपण हेतु दर अनुसार वार्षिक वृक्षारोपण की अन्तर की राशि निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	प्रचलित दर (प्रति हे.)	वार्षिक वृक्षारोपण हेतु कुल क्षेत्र (हे. में)	राशि	अन्तर की राशि
1	2017-18	600222/-	100.00	120044400	12004600/-
2	2018-19	660245/-	100.00	132049000	

अतः उपरोक्तानुसार वार्षिक वृक्षारोपण हेतु वर्ष 2018-19 की प्रचलित दर के अनुसार अंतर की राशि रुपये 12004600/- (एक करोड़ बीस लाख चार हजार छ. सौ) के मा. खाता में बैंक पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट कराकर ऑन लाईन जमा करें तथा चालान को प्रति सहित अधिसूचित शर्तों का पालन प्रतिवेदन भय वचन पत्र मानचित्रों के साथ 04 प्रतियों में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

पृ.क्रमांक / तक.अधि. / 4536
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. अरण्य भवन टेकडर-18, नार्थ ब्लॉक, नया रायपुर और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु समाहित।
3. कलेक्टर सरगुजा जिला अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. महाप्रबंधक छ.ग. गिनरल डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सोनाखाना बंधन/रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर
अम्बिकापुर, दिनांक 27 / 8 / 2018

वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर